बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग।

आदेश

राज्य में बिहार कारा हस्तक, 2012 दिनांक 12.12.2012 से प्रवृत किया गया है। बिहार कारा हस्तक, 2012 में अद्यतन आवश्यकताओं, नए विचारों, सुधारात्मक प्रशासन के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक तकनीक एवं आधुनिक परिवेश के अनुरुप नए प्रावधानों को कारा आधुनिकीकरण के संदर्भ में सरकार द्वारा समाविष्ट किया गया है।

2. उन प्रावधानों के आलोक में कारा सुधार से संबंधित कई कार्यों एवं महत्वपूर्ण योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित गति से निष्पादित और कार्यान्वित किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अतः सम्यक विचारोपरान्त कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय के अधीन महत्वपूर्ण कार्यों को त्वरित गति से निष्पादित किये जाने हेतु एक विशेष कार्य ईकाई–सह–प्रोजेक्ट मोनिटरिंग यूनिट (Special Task Force-cum- Project Monitoring Unit) का गठन निम्न रुपेण किया जाता है :–

(i)	संयुक्त सचिव–सह–निदेशक(प्रशासन)	–	अध्यक्ष
(ii)	निदेशक, कर्मशाला	–	सदस्य
(iii)	निदेशक, प्रोबेशनचर्या	–	सदस्य
(iv)	सहायक कारा महानिरीक्षक	–	सदस्य

3. उक्त Special Task Force-cum- Project Monitoring Unit को वांछित सहयोग प्रदान करने हेतु दो प्रोबेशन पदाधिकारी सम्बद्ध रहेंगे, जिनकी सम्बद्धता संबंधी आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा। Special Task Force-cum- Project Monitoring Unit द्वारा निदेशित किये जाने वाले कार्यों का निष्पादन सम्बन्धित प्रशाखा एवं पटल द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किया जायेगा।

4. संयुक्त सचिव–सह–निदेशक(प्रशासन) की अध्यक्षता में उपर्युक्त Special Task Force-cum- Project Monitoring Unit की बैठक प्रत्येक सोमवार को पूर्वाहन में 11:00 बजे की जाएगी और बैठक के उपरान्त कार्यों के क्रियान्वयन एवं प्रगति से सम्बन्धित प्रतिवेदन यथा विहित कम्प्यूटरीकृत प्रपत्र में महानिरीक्षक को उसी दिन अपराह्न में उपलब्ध कराया जाएगा। तत्पश्चात महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ के स्तर पर इस Special Task Force-cum- Project Monitoring Unit की बैठक प्रत्येक बुधवार को अपराह्न 12:30 बजे की जायेगी। निर्धारित दिवस को सार्वजनिक अवकाश की स्थिति में समीक्षा बैठक यथा समय अगले कार्य दिवस को आयोजित की जायेगी।

5. इस Special Task Force-cum- Project Monitoring Unit के लिए प्रथम चरण में निष्पादित किये जानेवाले कार्यों का निर्धारण यथा संलग्न प्राथमिकता निर्धारण सूची के रुप में किया जा रहा है। Special Task Force-cum- Project Monitoring Unit के लिए समय–समय पर पीत पत्र के माध्यम से महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ द्वारा प्राथमिकता निर्धारण सूची के लिए अन्य कार्यों को समाविष्ट किया जाता रहेगा, जिसके समयबद्ध क्रियान्वयन का दायित्व Special Task Force-cum- Project Monitoring Unit का होगा।

6. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

4/9/13

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4381 पटना, दिनांक 4 सितम्बर, 2013।

प्रतिलिपिः–संयक्त सचिव–सह–निदेशक (प्रशासन)/निदेशक, कारा कर्मशाला/निदेशक, प्रोबेशनचर्या/ सहायक कारा महानिरीक्षक/सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4/9/13

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

G:\04.09.2013\PIU\Formation of PMU-03.09.2013.doc

Special Task Force-cum- Project Monitoring Unit की प्राथमिकता निर्धारण सूची एवं प्रतिवेदन

प्रपत्र

क्र.	विषय	अद्यतन स्थिति	कठिनाई (यदि हो तो)
1	कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय का आधुनिकीकरण		
2	33rd Asian & Pacific Conference of Correctional Administrators (APCCA), 2013 से संबंधित पोस्टर प्रजेन्टेशन की तैयारी		
3	Bihar Institute of Correctional Administration (BICA) से संबंधित मामले का निष्पादन– (i) BICA के MOU और Bye-Laws का अनुमोदन		
	(ii) प्रशिक्षण पाठयक्रम तैयार किया जाना		
	(iii) संस्थान के पदों का सृजन		
4	कारा प्रशासन हेतु क्रय किये जानेवाले Revolver से संबंधित मामले का निष्पादन		
5	बिहार कारा सेवा के पदाधिकारियों के लिए वर्दी निर्धारण से संबंधित मामले का निष्पादन		
6	बिहार कारा चिकित्सा सेवा/संवर्ग से संबंधित नियमावली का गठन		
7	कारा से संबंधित विभिन्न सेवा संवर्गों की रिक्तियों का सक्षम नियोजन प्राधिकार को प्रेषण।		
8	कक्षपाल नियमावली, 2013 का गठन		
9	संविदा आधारित नियोजन के आधार पर राज्य के विभिन्न काराओं में सृजित वाहन चालकों के 50 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करते हुए विज्ञापन का प्रकाशन		

10	आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना में Modern Kitchen एवं Bakery Plant का Re-Tender जारी करना		
11	आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना में जैमर का अधिष्ठापन		
12	आधारभूत संरचना प्राधिकार, बिहार, पटना को विभिन्न काराओं के आधुनिकीकरण हेतु अग्रिम मद में दिए गए 50 लाख रुपये की वापसी।		
13	बंदियों के लिए डायट चार्ट एवं डायट स्केल का निर्धारण		
14	गृह विभाग द्वारा राज्य के दो काराओं के लिए भू–अर्जन हेतु स्वीकृत राशि की निकासी करते हुए संबंधित जिला को उपलब्ध कराया जाना।		
15	सुरक्षा प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य के काराओं को आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित करने से संबंधित कार्रवाई।		
16	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माध्यम से राज्य के सभी काराओं में स्वच्छ पेयजलापूर्ति, स्वच्छताधिष्ठापन एवं महिला खंड के लिए अलग से शौचालयों की व्यवस्था किया जाना।		
17	बंदी पंचायत पद्धति को प्रभावकारी ढंग से सभी काराओं में लागू किये जाने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण		
18	अपराध पीड़ित परिवारों को अपराध पीड़ित न्यास एवं जिला स्तर पर गठित समिति के माध्यम से प्रस्ताव तैयार कर क्षतिपूर्ति का वितरण आरंभ किया जाना।		
19	महिला मंडल कारा, बक्सर का प्राक्कलन तैयार किया जाना।		
20	राज्य के विभिन्न काराओं से विभिन्न प्रकार की योजनाओं हेतु प्राप्त सभी प्राक्कलनों की समीक्षा एवं स्वीकृति।		
21	राज्य के विभिन्न काराओं में शस्त्रागार (Magazines) का आधुनिकीकरण।		
22	राज्य के सभी कारा भवनों का जीर्णोद्धार।		